भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4119

17.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम योजना

4119. श्री सतीश कुमार गौतमः
श्री मनोज तिवारीः
श्री नलिन सोरेनः
श्री जुगल किशोरः
श्री गोपाल जी ठाकुरः
श्री वामसि कृष्णा गद्दामः
श्री भोजराज नागः
श्री आलोक शर्माः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड में दुमका सहित देश भर में पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम योजना के अंतर्गत स्वीकृत और चलाई गई इलेक्ट्रिक बसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) ने उक्त योजना को अपनाया है और उनके सकल लागत संविदा (जीसीसी) समझौतों की स्थिति क्या है;

(ग) पीटीए द्वारा भुगतान में बार-बार चूक को रोकने के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं;

(घ) आबंटित परिव्यय में से अब तक खर्च की गई राशि और भुगतान सुरक्षा सहायता के रूप में संवितरित की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड (सीईएसएल) चूककर्ता पीटीए की ओर से भुगतान करते समय वित्तीय जोखिम की निगरानी किस प्रकार करता है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव स्कीम और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम ई-बस सेवा स्कीम के तहत कुल 23,800 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है। विशेष

रूप से झारखंड के दुमका के संदर्भ में, संबंधित राज्य प्राधिकरण से पीएम- ईबस सेवा स्कीम के तहत ई-बसों के आवंटन हेतु कोई माँग प्राप्त नहीं हुई है।

पीएम ई-बस सेवा स्कीम और पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत स्वीकृत बसों की सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख): 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 123 शहरों ने उक्त स्कीम अपनाया है। विशेष रूप से, 12.03.2026 तक 62 शहरों के कुल 48 सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) ने संबंधित संचालकों/मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को लेटर ऑफ अवॉर्ड (एलओए) जारी कर दिए हैं।

(ग): भुगतान में बार-बार होने वाली चूक को रोकने के लिए, भुगतान सुरक्षा तंत्र के तहत सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) को स्कीम निधि से मूल उपकरण विनिर्माताओं/संचालकों को जारी की गई पूरी राशि किसी भी स्थिति में 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर वापस करनी होगी। इस अवधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित तीन-वर्षीय एमसीएलआर + 1% वार्षिक की दर से विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) देय होगा, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाएगी। इस अधिभार की गणना मूल उपकरण विनिर्माताओं/संचालकों को राशि संवितरित किए जाने की तिथि से लेकर संबंधित पीटीए, राज्य सरकार, या संघ राज्य क्षेत्र से पुनर्भुगतान प्राप्त होने की तिथि तक की जाएगी, जिससे भुगतान में देरी या बार-बार होने वाली चूक के विरुद्ध एक वित्तीय निवारक बना रहे। यदि पीटीए 90 दिनों के भीतर अधिभार सहित संवितरित राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल रहता है, तो भारी उद्योग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक से डायरेक्ट डेबिट मैंडेट लागू करने का अनुरोध करेगा। इसके पश्चात आरबीआई राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के खाते से राशि डेबिट कर लागू अधिभार सहित स्कीम निधि में जमा कर देगा।

(घ): चूंकि बसें अभी तैनाती के चरण में हैं, अतः आज की तिथि तक भुगतान में चूक की कोई सूचना नहीं मिली है और इस स्कीम के तहत किसी भी दावे पर कार्रवाई नहीं की गई है।

(ङ): सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार एक एस्क्रो खाता बनाए रखेंगे। एस्क्रो खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण होने वाली किसी भी देरी या गैर-भुगतान को "पीटीए द्वारा चूक" माना जाएगा, जिसकी रिपोर्ट सीईएसएल को दी जाएगी। एक वैध पीएसएम अनुरोध प्राप्त होने पर, सीईएसएल स्कीम निधि से अनुमोदित राशि एस्क्रो खाते में संवितरित कर सकता है। यदि पीटीए 90 दिनों के भीतर एलपीएस सहित संवितरित राशि लौटाने में विफल रहता है, तो भारी उद्योग मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक से डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) लागू करने का अनुरोध करेगा। यह सुव्यवस्थित तंत्र सीईएसएल को चूककर्ता प्राधिकरणों की ओर से भुगतान करते समय वित्तीय जोखिम के प्रबंधन में सक्षम बनाता है।

*****

अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	शहर	स्वीकृत बसें
1	गुजरात	सूरत	600
		अहमदाबाद	1,200
2	कर्णाटक	बेंगलुरु	4,500
3	महाराष्ट्र	मुंबई	1,500
		पुणे	1,000
4	तेलंगाना	हैदराबाद	2,200
5	दिल्ली	दिल्ली	2,800
क	**कुल (पीएम ई-ड्राइव)**		**13,800**
क्र.सं.	**राज्य**	**शहर**	**स्वीकृत बसें**
1	आंध्र प्रदेश	अमरावती	50
2		अनंतपुर	50
3		गुंटूर	100
4		कड़पा	50
5		काकीनाडा	50
6		कुरनूल	50
7		नेल्लोर	100
8		राजमुंदरी	50
9		तिरुपति	350
10		विजयवाड़ा	100
11		विशाखापत्तनम	100
12	गुजरात	भावनगर	100
13		गांधीधाम	50
14		नवसारी	50
15		गांधीनगर	100
16		जामनगर	50
17		जूनागढ़	50
18		राजकोट	100
19		वडोदरा	250
20	मध्य प्रदेश	भोपाल	195
21		इंदौर	270
22		जबलपुर	200
23		सागर	32
24		ग्वालियर	100

25		सतना	20
26		देवास	55
27		उज्जैन	100
28	महाराष्ट्र	अहिल्यानगर	40
29		अकोला	50
30		अमरावती	50
31		छत्रपति संभाजीनगर	100
32		भिवंडी	100
33		चंद्रपुर	50
34		धुले	28
35		इचलकरंजी	25
36		जलगांव	50
37		कल्याण डोंबिवली	100
38		कोल्हापुर	100
39		लातूर	50
40		मीरा भाईंदर	100
41		नागपुर	150
42		नासिक	100
43		सांगली	50
44		सोलापुर	100
45		ठाणे	100
46		उल्हासनगर	100
47		वसई विरार सिटी	100
48		मालेगांव	26
49		परभणी	40
50	मेघालय	शिलांग	55
51	ओडिशा	संबलपुर	50
52		बरहामपुर	50
53		भुवनेश्वर	100
54		राउरकेला	100
55		कटक	100
56	पुदुचेरी	पुडुचेरी	75
57		अजमेर	100

58	राजस्थान	अलवर	100
59		भीलवाड़ा	50
60		बीकानेर	125
61		जयपुर	450
62		जोधपुर	125
63		कोटा	100
64		उदयपुर	50
65		सीकर	50
66	उत्तराखंड	देहरादून	100
67		हरिद्वार	37
68	असम	गुवाहाटी	100
69	चंडीगढ़	चंडीगढ़	428
70	हरियाणा	गुरूग्राम	100
71		फरीदाबाद	100
72		हिसार	50
73		करनाल	50
74		पानीपत	50
75		रोहतक	50
76		यमुनानगर	50
77	बिहार	भागलपुर	50
78		दरभंगा	50
79		गया	50
80		मुज़फ़्फ़रपुर	50
81		पटना	150
82		पूर्णिया	50
83	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	50
84	गोवा	पणजी	50
85	हिमाचल प्रदेश	शिमला	25
86		धर्मशाला	25
87	छत्तीसगढ़	दुर्ग	50
88		रायपुर	100
89		कोरबा	40
90		बिलासपुर	50
91		बेलगागावी	100

92	कर्णाटक	बेल्लारी	50
93		दावनगेरे	50
94		धारवाड़	100
95		कलबुर्गी	100
96		मंगलुरु	100
97		मैसूर	100
98		शिमोगा	50
99		तुमकुरु	50
100		विजयपुरा	50
101	पंजाब	अमृतसर	100
102		लुधियाना	100
103		पटियाला	50
104		जालंधर	97
105		साहिबजादा अजीत सिंह नगर	100
106	केरल	केरल	293
107	तेलंगाना	निजामाबाद	51
108		वारंगल	100
109	मणिपुर	इंफाल	50
110	अंडमान और निकोबार	अंडमान और निकोबार	45
111	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	100
112		जम्मू	100
113	लद्दाख	लद्दाख	48
114	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	50
ख	**कुल (पीएम-ई बस सेवा)**		**10,000**
ग	**स्कीम की कुल बसें (क+ख)**		**23,800**